

ज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाडमेर

पूनमाराम पुत्र रूपाराम  
जाति जाट निवासी पनोरिया  
तहसील सेड़वा, जिला बाडमेर।

विप्राथीगण

1. अमरूदेवी पत्नी रूपाराम
2. मेहाराम पुत्र उमाराम
3. अणदीदेवी पत्नी उमाराम
4. दुदाराम
5. पुखराज
6. प्रतापराम पि. हमीराराम
7. अणसी पत्नी हमीराराम
8. पीराराम
9. हीराराम पि. कानाराम
10. रामूदेवी पत्नी कानाराम
11. अनाराम पुत्र लिछमणाराम
12. जेसाराम
13. चेतनराम पि. मगाराम
14. धापूदेवी पत्नी मगाराम
15. रेखाराम
16. हुकमाराम पि. खेताराम
17. मीरादेवी पत्नी खेताराम
18. हंसाराम
19. वीरमाराम
20. गोरधनराम पि. गोमाराम
21. शांतिदेवी पत्नी रामाराम
22. घमूदेवी पत्नी पेमाराम
23. पीराराम
24. मालाराम पि. पूनमाराम
25. चुनीदेवी पत्नी पूनमाराम
26. जेताराम पुत्र भेराराम
27. बाबूराम
28. ईशराराम पि. लालाराम
29. गेनीदेवी पत्नी लालाराम
- जातियान जाट निवासी पनोरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाडमेर।
30. मैनेजर एसबीबीजे शाखा सेड़वा।
31. मैनेजर बीएलडीबी बालोतरा, बाडमेर।
32. श्रीमान तहसीलदार एवं उपपंजीयक सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न ..... 20.5 / 20.5

21/5/15

प्रार्थी के वकील श्री जगदीश पोटलिया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया जो विप्राथीगण को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जबाब दिनांक ..... 20/6/15 को पेश हो।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के वकील की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा चितरड़ी, पटवार क्षेत्र पनोरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाडमेर के खेत खसरा नंबर 182 रकबा 286.03 बीघा एवं मौजा पनोरिया खसरा नंबर 217 रकबा 75.13 बीघा एवं खसरा नंबर 215 रकबा 00.03 बीघा, खसरा नंबर 216 रकबा 00.03 बीघा, खसरा नंबर 486/213 रकबा 39.02 बीघा, खसरा नंबर 481/213 रकबा 13.01 बीघा भूमि में आगामी पेशी तारीख तक न्यायहित में आराजी खसरो में विप्राथीगण के विरुद्ध मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम जारी हो। विप्राथीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाब दिनांक ..... 20/6/15 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

20.6.15

पत्रावली पेश हुई। बकलाय

28/06/18

पत्रावली आज लम्ब हुई मूल वाड  
पत्रावली में (अभिनाम) दो से वाड)  
द्वारा विज्ञापन कर लिया गया है। अतः  
आवेदन में आगे की कार्यवाही  
का कोई अर्थचिह्न नहीं रहता है।  
अतः न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी  
रखान आदेश 205/15 में आगे की  
कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त  
की जाकर आवेदन विज्ञापन  
जारी है। पत्रावली कुल सुपार  
होकर समाप्त हुआ है।

सहायक कलेक्टर  
(SDO) चौहान

सुपार  
द्वारा